

2024/375 D

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां
(डीडवाना-कुचामन)

201
20/6/24

(पीठासीन अधिकारी श्री विश्वामित्र मीना)

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी खौरडी व भूअ.नि. घाटा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार चिंताव की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खौरडी तहसील नावां जिला नागौर की जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में खाता संख्या 255 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिया जाता है :-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	खौरडी	255	भुराराम पुत्र सुवाराम	भंवरलाल पुत्र सुवाराम

Op

पीठासीन अधिकारी
कोर्ट नावां

उपखण्ड अधिकारी, नावां
(डीडवाना-कुचामन)

दिनांक :- 20/6/24

क्रमांक/रीडर/2024/260

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, नावां को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

2. प्रार्थी श्री भंवरलाल शं सुवाराम जात्रि डूंगर को सूचनार्थ।

नि. खौरडी

Op

पीठासीन अधिकारी
कोर्ट नावां

उपखण्ड अधिकारी, नावां

(डीडवाना-कुचामन)
नावां (डीडवाना-कुचामन)



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां
(डीडवाना-कुचामन)

(पीठारीन अधिकारी - विश्वामित्र मीना, आर.ए.एरा.)

- : संशोधित आदेश :

प्रार्थी के "खाता दुरुरती " प्रार्थना पत्र (दिनांक 20.06.2024) पटवारी खोरण्डी व भू.अ.नि घाटवा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार धितावा की अनुशांघा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खोरण्डी तहसील नावां जिला नागौर की जमाबन्दी सम्वत 2074-77 में खाता संख्या 255, 256 में दर्ज प्रविष्टि को शुद्धी हेतु पेश किया। इस कार्यालय पूर्व आदेशांक : रीडर/2024/260 दिनांक 20.06.2024 में राहवन से खाता संख्या 256 का अंकन नहीं किया गया। केवल खाता संख्या 255 का ही अंकन उक्त आदेश में किया गया। अतः उक्त आदेश में निम्नानुसार आशिक संशोधन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिया जाता है :-

क्र. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
01	खोरण्डी	256	भुराराम पुत्र सुवाराम	भंवरलाल पुत्र सुवाराम

(विश्वामित्र मीना)

उपखण्ड अधिकारी नावां

(डीडवाना-कुचामन)

दिनांक :- 02.09.2024

क्रमांक/रीडर/2024/ 361

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, नावां/कुचामनसिटी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री.....को सूचनार्थ।

(विश्वामित्र मीना)

उपखण्ड अधिकारी नावां

(डीडवाना-कुचामन)

नावां (डीडवाना-कुचामन)